

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्र. वाचक / 2022 / 993

दिनांक :- 20.05.22

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

पदमसिंह वगैरह

दलपतसिंह वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
राजस्व आवेदन सं 15 / 2022

दिनांक :- 16.05.2022

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सरहद मौजा 132,378 / 131,124,128,130 व 376 / 129 रकबा क्रमशः 1.3598, 3.7717, 3.5127, 0.0162, 0.0728 व 2.1934 हैक्टर भूमि का नाप पैमाईश कर उक्त खसरे के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार, सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रुपये 500 / - प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना सिवाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

दिनांक :- 20.05.22

क्रमांक: वाचक / 2022 / 994-997

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना ।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी धीरा को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. पदमसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मांगी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना